प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

1. जग्गा सिंह पुत्र श्री गंगाराम फौत
1/1. प्रीतम सिंह पुत्र श्री जग्गा सिंह जाति जटसिख नि.नगराना तह.संगरिया
1/2. बुटा सिंह पुत्र श्री जग्गा सिंह जाति जटसिख नि.नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीगण

बनाम्

1 बुटा सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह फौत
1/1 वकील सिंह पुत्र श्री बुटा सिंह जाति जटसिख नि.नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
1/2. परमजीत कौर पुत्री श्री बुटा सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल आबाद अलीकां तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
2 सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री रूलिया सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) मृत
2/1 जगसीर सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2/2 परमजीत कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह पत्नी गरदान सिंह जाति जटसिख निवासी लिगरांना तहसील संगरिया हाल आबाद 1 पी.एस. तह. पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)
2/3. हरविन्द्र कौर पुत्री सुखविन्द्र सिंह पत्नी गरदेश सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया हाल आबाद 1 जी.एस. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)
2/4. मलकीत कौर पत्नी सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3 मलकीत सिह पुत्र श्री रूलिया जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील सगरिया।
4 बलदेव सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
5 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–:आदेश:–

दिनांक : 16.01.2026

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 5 एन.जी.आर के खाता सख्या 43/29 ज0स0 2068–2071 में 3.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कब्जा बावत कोई निवाद नही है। नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं01 के नाम से चक 5 एन.जी.आर के खाता सं 85/91 में 1.505 है. कृषिभूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी स0 2 व 3 के नाम से चक 5एनजीआर के खाता स.140/93 में 1.734 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। व अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से चक 5 एनजीआर के खाता सं 78/62 में 2.024 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रार्थी जगा सिंह के कब्जा काश्त में चक 5एनजीआर के खाता सं

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

43/29 की 3.795 है कृषि भूमि में आने जाने हेतू कोई मंजूर शुद्वा रास्ता नही है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में काश्तं करने में भारी परेशांनी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतू अप्रार्थी सं01 ता 4 की कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 5एनजीआर के खाता सं0 85/91 ज0स0 2068–2071 के प.न.170/216 के मु0न0 29 के किला न0 15,16,25 में एक एक बिस्वा उतर से दक्षिण पत्थर लाईन पर व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 5 एनजीआर के खाता स 140/93 ज0स0 2068–2071 के प.न.170/216 के मु0 न05 व 6 मे एक एक बिस्वा उतर से दक्षिण पत्थर लाईन पर तथा अप्रार्थी सं० 4 के कब्जा काश्त की कषि भूमि चक 5एनजीआर के खाता सं 78/62 ज०स० 2068–2071 में प.न 170/215 के मु.नं. 28 के किला न.25 में एक एक बिस्वा उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन से होकर अपने खेत मे आजा जाता है। उक्त मुरब्बा न० 29 के किला न.15,16,25,5,6 में उक्त रास्ता पिछले 38 वर्षो से चालू है। उक्त्त रास्ता प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 1 व 4 ने स्वयं व अप्रार्थी सं02 व 3 के पिता ने समझोता में दिनांक 31:08.1982 को स्टाम्प पर लिख कर दिया है। प्रार्थी की खेत मे ढाणी भी बनी हुई है। प्रार्थी के खेत व ढाणी में आने जाने के लिए केवल यही रास्तां नजदीकी है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को खेत मे आने जाने हेतू अन्य कोई रास्ता नही है। यदि प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी में आने जाने के लिए चक 5एनजीआर के खाता सं085/91 ज स02068–2070 के प.न. 170/216 के मु0न0 29 के किला न. 15,16,25 में एक एक बिस्वा व इसी चक के खाता सं 140/93 ज स. 2068–2071 के प.न.170/216 के मु.न0 5 व 6 मे एक एक बिस्वा तथा इसी चक के खाता सं 78/62 ज स.2068–2071 में प.न.170/215 के मु0न028 के किला न.25 मे एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी को अपने खेत व. ढाणी में आन जाने में सुविधा रहेगी। अतः प्रार्थीगण इसी मुताबिक रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी एवं हकदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं01 ता 4 से कई बार निवेदन किया व प्रार्थी की कब्जा काश्त में प्रार्थना पत्र की चरण स02 मे दर्ज आराजी मे आने जाने हेतू प्रार्थना पत्र की चरण स04 के मुताबिक रास्ता मंजूर करवा देवे तो प्रार्थी मुताबिक डी.एल.सी रेट की दूगनी राशि देने को तैयार है। तथा चक 5 एनजीआर के प.न० 170/216 के मु0 न0 29 के किला न0 15,16,25 व 5 6 तथा 170/215 के मु न0 28 के किला न0 25 में चालू रास्ता बन्द न करे तथा न ही उक्त रास्ता मे किसी प्रकार का अवरोद्व उत्पन्न करे तो इस पर पहले तो अप्रार्थीगण 1 ता 4 टाल मटोल करते रहे लेकिन अन्त में ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गये बस यही विनाय प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं० 5 भू धारक है इसलिये पक्षकार बनाया गया हैं इससे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गंया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो कि उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एनजीआर के प.न.170/216 मु0न029

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

के किला न0 15,16,25 5 व 6 तथा प.न. 170/215 मु0न 28 के किला 25 में पत्थर लांईन पर एक एक बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा उकत आराजी राजस्व रिकार्ड मे बतौर गैरमुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज कि जावे। प्राथी उक्त रासता के बदले डी.एल.सी रेट की दूगनी राशि भरने को तैयार है। अतः उक्त रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्रांक 1916 दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्रार्थीगण प.न. 171/215 मु.न 27 किला नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 मे स्वीकृत शुद्वा रास्ते से होकर प.न. 170/215 मु.न. 28 किला नं. 5 से आना जाना करना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपंनी रिपोर्ट में प.न. 171/215 मु.न 27 किला नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 मे स्वीकृत शुद्वा रास्ते सें होकर प.न. 170/215 मु.न. 28 किला नं. 5 से प्रार्थीगण आना जाना करना बतलाया है एवं दिनांक 08.01.2026 को मेरे द्वारा स्वंय मौका देखे जाने पर भी प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण द्वारा प.न. 171/215 मु.न 27 किला नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 मे स्वीकृत शुद्वा रास्ते से होकर प.न. 170/215 मु.न. 28 किला नं. 5 से अवागमन किया जाना प्रतीत होता है साथ ही उक्त प्रश्नगत रास्ता निकटतम भी है तथा जिस काश्तकार के पास कृषि कार्य हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव है उसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत निकटतम रास्ता दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान भी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक अन्य लघुतम मार्ग की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण नयें सिरे से निकटतम मार्ग के अनुसार संबंन्धित को पक्षंकार बनाकर रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

आदेश खुले में सुनाया गया

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़